बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र06–विविध(कोयला)–16 / 2026 1966 खाद्य, पटना / दिनांक– 24/04/2026

प्रेषक,

उपेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी
टेक्नोलॉजी भवन, एन0आई0सी0,
बिहार, पटना।

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) की आपूर्ति एवं वितरण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि वर्तमान में दक्षिण पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण उर्जा की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई हैं, जिसके कारण राज्य में भी आम लोगों के समक्ष खाना बनाने हेतु रसोई गैस (LPG) की उपलब्धता प्रभावित हुई है। उक्त के आलोक में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में वर्णित प्रावधान के आलोक में रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति श्रृंखला के कमी के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में खाना बनाने के लिए वैकल्पिक उर्जा स्रोत के रूप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) की आपूर्ति एवं वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) की आपूर्ति एवं वितरण के लिए मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त मार्गदर्शिका की छायाप्रति संलग्न है। साथ ही, विभागीय पत्रांक–1925 दिनांक 21.04.2026 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) की आपूर्ति एवं वितरण के लिए संबंधित विभागों से आवश्यक कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन ई–पॉस के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) की आपूर्ति एवं वितरण किया जाना है, जिसके लिए निम्नांकित आवश्यक कार्रवाई किया जाना समीचीन है :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) का वितरण किया जाना है।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) की आपूर्ति एवं वितरण के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका–05 (iv) के आलोक में प्रत्येक लाभुक परिवारों को प्रतिमाह 100 किलोग्राम अर्थात 01 क्विंटल कोयला की अनुमान्यता होगी।

3. लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा कुकिंग कोयला (Cooking Coal) को ई–पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन से Receive किया जाएगा।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन ई–पॉस के माध्यम से लाभुकों के बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात् कुकिंग कोयला (Cooking Coal) का वितरण किया जाएगा।

5. कुकिंग कोयला (Cooking Coal) के वितरण के पश्चात् ई–पॉस के माध्यम से निर्गत पर्ची में कुकिंग कोयले (Cooking Coal) की मात्रा एवं मूल्य अंकित किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के संदर्भ में आवश्यक तकनीकी बिन्दुओं पर ससमय आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

अनु०:– यथोक्त।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध(कोयला)–16/2026 1966 खाद्य, पटना/दिनांक–24/04/2026
प्रतिलिपि–श्रीमती अन्नपूर्णा, वैज्ञानिक–ई, डीएफपीडीएस डिवीजन, एन0आई0सी0, हैदराबाद/श्री रंजन कुमार सिंह, वरीय तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–07/कुमार निखिल, प्रोजेक्ट मैनेजर, SPIT खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना/M/s Linkwell Telesystems Pvt. Ltd., Hyderabad-500016, Telangana को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक– प्र06–विविध(कोयला)–16/2026 1966 खाद्य, पटना/दिनांक– 24/04/2026
प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

167

(8)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र07, कोयला आपूर्ति (विविध)–05/2026 1925 /खाद्य, पटना/दिनांक– 21/04/2026

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

विषय :– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) का आपूर्ति एवं वितरण हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में दक्षिण पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण ऊर्जा का सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है एवं राज्य में लोगों के समक्ष खाना बनाने हेतु रसोई गैस (एल0पी0जी0) की उपलब्धता की समस्या उत्पन्न हुई है। इसके मद्देनजर रसोई गैस (एल0पी0जी0) की कमी के निवारण हेतु राज्य में खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयला की आपूर्ति किया जाना है।

उक्त के आलोक में आपादा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के वर्णित प्रावधान के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) का आपूर्ति एवं वितरण हेतु मार्गदर्शिका तैयार की गई है।

अतएव उक्त मार्गदर्शिका की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधान के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) का आपूर्ति एवं वितरण कराने की दिशा में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त।

21/4/26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र07, कोयला आपूर्ति (विविध)–05/2026 1925 /खाद्य, पटना/दिनांक– 21/04/2026
प्रतिलिपिः–राज्य परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, बिहार पटना एवं निदेशक–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार राज्य खनन निगम लि0 (BSMCL), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/4/26
सरकार के सचिव।

D:\section-7\P_2026\Birju sir\letter.docx

(7)

ज्ञापांक–प्र07, कोयला आपूर्ति (विविध)–05/2026 1925 /खाद्य, पटना/दिनांक– 21/04/2026
प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना/अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) पटना/विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी पणन पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी एवं सभी आपूर्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/4/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र07, कोयला आपूर्ति (विविध)–05/2026 1925 /खाद्य, पटना/दिनांक– 21/04/2026
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

21/4/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र07, कोयला आपूर्ति (विविध)–05/2026 1925 /खाद्य, पटना/दिनांक– 21/04/2026
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

21/4/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–प्र07, कोयला आपूर्ति (विविध)–05/2026 1925/खाद्य, पटना/दिनांक– 21/04/2026
प्रतिलिपिः– विभागीय सचिव कोषांग/आई0 टी0 मैनेजर को मार्गदर्शिका की प्रति ई–मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/एस0पी0आई0टी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/4/26

सरकार के सचिव।

(6)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) का आपूर्ति एवं वितरण के संबंध में मार्गदर्शिका।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की परिभाषा 2(घ) में आपदा को परिभाषित किया गया है, जिसमें वर्णित है कि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् हानि या मानवीय पीड़ाएं, या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है। वर्तमान में दक्षिण पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण ऊर्जा का सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है एवं लोगों के समक्ष खाना बनाने हेतु रसोई गैस की किल्लत हुई है जो कि वर्तमान में मानवकृत आपदा के श्रेणी में आता है।

उक्त के निदान हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा–38 के तहत राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य सरकार राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट सभी उपाय तथा ऐसे और उपाय करेगी जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे एवं धारा–39 में राज्य सरकार के विभागों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है जिसमें वर्णित है कि प्रत्येक विभाग राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आपदाओं के निवारण, शमन, तैयारी और क्षमता–निर्माण के लिए आवश्यक उपाय करें।

अतः उपरोक्त के आलोक में उत्पन्न ऊर्जा संकट जैसी आपदा की स्थिति में रसोई गैस (LPG) की कमी के निवारण हेतु राज्य में खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयला की आपूर्ति किया जाना है।

01. उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 30.03.2026 को सम्पन्न आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में राज्य में ईंधन की कमी के मद्देनजर कोयला को वैकल्पिक ईंधन उपयोग हेतु विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक कर संबंधित विभाग यथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग एवं खनन विभाग को निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया।

02. उक्त के आलोक में विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में वर्त्तमान परिदृश्य में कोयला वितरण व्यवस्था लागू करने हेतु आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में जन

वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से कोयले का आपूर्ति करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से कुकिंग कोयला (Cooking Coal) का आपूर्ति एवं वितरण किया जाएगा।

03. कोल हेड से जिला मुख्यालय तक तथा जिला मुख्यालय से पंचायत मुख्यालय/जन वितरण प्रणाली दुकानों तक कोयला के उठाव, परिवहन एवं आपूर्ति इत्यादि की व्यवस्था हेतु दायित्वों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :–

(क) बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड (BSMCL) का दायित्व :–

(i) राज्य में कोयले की आपूर्ति हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड कैनालाइजिंग एजेन्ट (Canalizing Agent) नामित है।

(ii) थोक विक्रेता के माध्यम से कोल हेड से जिला मुख्यालय तक कोयले के उठाव, आपूर्ति एवं परिवहन की जवाबदेही BSMCL की होगी।

(iii) जिला मुख्यालय स्तर पर थोक विक्रेताओं का निबंधन (Registration) इत्यादि कराने की जिम्मेवारी बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरशन लिमिटेड (BSMCL) की होगी।

(iv) BSMCL द्वारा जिला स्तर पर Cooking Coal के क्रय एवं विक्रय हेतु एक या अधिक थोक विक्रेताओं का चयन आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

(v) BSMCL द्वारा कोल इण्डिया (Coal India) से कोयले की मांग (Demand) किया जाएगा एवं जिले के थोक विक्रेताओं को अधियाचना अनुसार कोयले की आपूर्ति की जाएगी।

(vi) उक्त कार्य हेतु थोक विक्रेता को 03 प्रतिशत हैंडलिंग चार्ज देय होगा।

(vii) उक्त हेतु BSMCL को 02 प्रतिशत मार्जिन मनी देय होगा।

(ख) जिला टास्क फोर्स का दायित्व :–

(i) जिला टास्क फोर्स परिवहन विभाग के मार्गदर्शन में काम करेगी।

(ii) जिला टास्क फोर्स द्वारा कोल हेड से थोक विक्रेता के गोदाम तक परिवहन, हथालन इत्यादि दर का निर्धारण किया जाएगा।

(iii) थोक विक्रेता के गोदाम से जन वितरण प्रणाली से पंचायत मुख्यालय/जन वितरण प्रणाली दुकान तक परिवहन दर इत्यादि का निर्धारण किया जाएगा।

(iv) कोल हेड से जिला मुख्यालय में अवस्थित थोक विक्रेता के गोदामों तक तथा जिला मुख्यालय में अवस्थित थोक विक्रेता के गोदामों से जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकानों तक किये जाने वाला परिवहन शुल्क के संबंध में जिला

टास्क फोर्स द्वारा परिवहन विभाग के मार्गदर्शन में दूरी के आधार पर कोयले के दर का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा :–

(a) कोयले का मूल्य

(b) 02 प्रतिशत BSMCL का मार्जिन

(c) थोक विक्रेता का परिवहन व्यय

(d) थोक विक्रेता का 03 प्रतिशत हैंडलिंग चार्ज

(e) जन वितरण प्रणाली विक्रेता का परिवहन व्यय

(f) जन वितरण प्रणाली विक्रेता का लागत मूल्य पर 15 प्रतिशत मार्जिन (12 प्रतिशत लाभ + 03 प्रतिशत आकस्मिकता व्यय)।

04. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का उत्तरदायित्व :–

(i) संबंधित जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगें तथा अनुमंडलवार / प्रखंडवार कोयले का आवंटन पणन पदाधिकारी की अनुशंसा पर करेंगे एवं इसकी सूची संबंधित थोक विक्रेता को उपलब्ध करायेंगे।

(ii) संबंधित जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी राशन कार्ड के डाटाबेस के आधार पर जिलावार कोयले की आवश्यकता का आकलन करते हुए कोयले की अधियाचना थोक विक्रेता के माध्यम से BSMCL को उपलब्ध करायेंगे।

(iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुक परिवारों को वितरण हेतु मात्रा का निर्धारण विभाग द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

(iv) e-PoS यंत्र के माध्यम से वितरण के पश्चात निर्गत किये जाने पर्ची में कोयला का मात्रा एवं मूल्य अंकित करने हेतु NIC एवं संबंधित एजेन्सी से समन्वय करेगा।

05. जन वितरण प्रणाली विक्रेता का दायित्व :–

(i) जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति हेतु ससमय निर्धारित दर के अनुरूप चालान के माध्यम से अग्रिम राशि निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा की जाएगी।

(ii) जिला मुख्यालय अवस्थित थोक विक्रेता के गोदामों से जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा स्वयं के खर्च पर उपर्युक्त कंडिका–03(ख)(iii) के अनुसार निर्धारित दर पर कोयला का उठाव किया जाएगा।

(iii) राज्य में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित पूर्वीकताप्राप्त गृहस्थी (PHH) एवं अन्त्योदय श्रेणी (AAY) के

(62

(3)

परिवारों को e-PoS यंत्रों के माध्यग से बायोमेट्रिक सत्यापन के पश्चात कोयला उपलब्ध कराया जाएगा।

(iv) जिला टास्क फोर्स द्वारा उपर्युक्त कंडिका–03(ख)(iv) के अनुसार निर्धारित दर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित प्रत्येक लाभुक परिवारों को प्रति माह 100 किलोग्राम अर्थात् 01 क्वींटल कोयला उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) जन वितरण प्रणाली विक्रेता को कोयले के वितरण के विरूद्ध उनकी लागत पूँजी पर कुल 15 प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा, जिसमें 12 प्रतिशत पूँजी पर लाभ एवं 03 प्रतिशत आकस्मिक व्यय शामिल होगा।

06. बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 में वर्णित खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण इत्यादि से संबंधित संगत प्रावधान यथा निरीक्षण, छापेमारी इत्यादि कोयले के उठाव एवं वितरण पर भी प्रभावी होंगे।

07. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

21/4/26

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।